न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	प्रा0पत्रसं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	13/2021	2021/33	03.09.2021	सरकार बनाम कमलेश व अन्य	22.04.2026	1 लगायत 6

पीठासीन अधिकारी :– सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 13/2021 (2021/33)

उनवान प्रकरण

1. प्रेमचन्द्र जैन (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर। – आवेदक

बनाम

1. कमलेश खण्डेलपाल पुत्र श्री कैलाश खण्डेलवाल उम्र लगभग 34 वर्ष जाति महाजन रिबीको मौके पर किताका वेदप्रकाश माल गोदाम रोड गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर निवासी महेन्द्र मेडीकल वाली गली नर्सिंग कॉलोनी, कचहरी रोड गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी जिला साईपुर (राजस्थान)।

2. कैलाशचन्द्र खण्डेलवाल श्रीरामस्वाम लगभग 55 वर्ष जाति महाजन (एबीजी व मालिक) कर्मसत्याकाश मालगोदाम रोड समापुर सिटी जिला सथाई मायोपुर निवासी महेन्द्र मेडीकल बाली गली नर्सिंग कॉलोनी कचहरी रोड गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)।

अभियुका

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) व 27(2)(d) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.12.2020 को लगभग 01.00 पी.एम. पर दौराने गस्त फर्म–सत्यप्रकाश वेदप्रकाश माल गोदाम रोड, गगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर पर निरीक्षण हेतु पहुंचा। वहीं पर निरीक्षण के समय मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम कमलेश वनडेलवाल पुत्र श्री कैलाशचन्द खण्डेलवाल [illegible] 34 वर्ष जाति महाजन बताया तथा स्वयं को दुकान पर विक्रेता तथा अपने पिता कैलाशचन्द [illegible]वाल पुत्र श्री रामस्वरूप खण्डेलवाल को फर्म का मालिक होना बताया। मैंने कमलेश खण्डे[illegible] को अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। कमलेश खण्डेलवाल अपनी दुकान पर घी, [illegible]न, वनस्पति मसाले

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 15:22:02 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुर सिटी

नमकीन, बिस्कुट व अन्य खाद्य सामग्री आमजन को विक्रय करता है। मैंने कमलेश खण्डेलवाल से फर्म का वर्ष 2020 का खाद्यपदार्थ लाईसेन्स / रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं स्वयं तथा फर्म मालिक का फोटी पहबान पत्र दिखाने को कहा तो उसने अपनी दुकान का वाद्यपदार्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट संख्या 22214067001964 दिनांक 30.07.2019 मुझे दिखाया तथा स्वयं तथा कर्म मालिक का फोटो पहबान बाद में कार्यालय में पेश करने को कहा। दुकान के खाद्यपदार्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक स्वप्रमाणित प्रति आवेदक को दी जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय दुकान के विक्रय परिसर में एक लकडी की रैंक में आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुयी खाद्य वस्तु बेसन (गणगौर ब्रान्ड) 1 किलोग्राम पैक के 8 पैकिटों का निरीक्षण करने पर उनमें मिलावट एक मिथ्याछाप का शक होने पर मौके पर मौजूद विक्रेता कमलेश खण्डेलवाल से उक्त खाद्य वस्तु बेसन (गणगौर ब्रान्ड) 1 किलोग्राम पैक के पैकिटों में से शुद्धता व लेबल की जाँच हेतु नमूना देने हेतु कहा तथा विक्रेता को नमूना लेने हेतु सूचना जरिये प्रपत्र हुए तैयार कर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता को देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान के विक्रय परिसर में एक बैंक में रखी हुयी खाद्य वस्तु बेसन (गणगौर ब्रान्ड) 1 किलोग्राम पैक के पैविटों में से 4 पैकिट शुद्धता व लेबल की जाँच हेतु नमूना लेने बाबत खरीदे जिनकी कीमत विक्रेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 360/—रूपये अक्षरे तीन सौ सात रूपये नगद देकर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करने पर मैने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य वस्तु बेसन (गणगौर ब्रान्ड) 1 किलोग्राम पैक के 4 पैकिटों को चार साफ, सूखे व खाली प्लास्टिक के डिब्बों में अलग—अलग रखकर चारों डिब्बो के ढक्कन अच्छी तरह से टाइट बन्द कर, चार लेबल तैयार करके उन पर स्थान, दिनांक, खाद्य वस्तु आदि लिखकर स्वय के हस्ताक्षर कर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को प्रत्येक पैकिट पर अलग—अलग चिपकाकर, प्रत्येक पैकिट को अलग—अलग ब्राउन पेपर में लपेटकर पेपर के सिरो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक पैकिट पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रदत्त एवं हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप [illegible] से नियमानुसार प्रत्येक पैकिट पर चिपकाकर प्रत्येक पैकिट की एक मोटे मजबूत [illegible] से बाधकर चार—चार जगह चपड़ी से सील मोहर करके चारों पैकिटों पर यथास्थान विक्रेता [illegible] गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर मैने हस्ताक्षर किये एवं सीलबन्द पैकिटों को [illegible] मौके पर मौजूद विक्रेता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 15:22:02 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

कमलेश खण्डेलवाल से उक्त नमूने की खाद्यवस्तु के माल खरीद बिल के बारे में पूछा उसने बताया कि मेरे पास उक्त खाद्यवस्तु का माल खरीद बिल अभी नहीं है बाद में कार्यालय में पेश कर दूँगा। मौके पर की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसको पढ़कर, सुनकर एवं सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियाँ तैयार की जिस पर उस सील का इम्प्रेशन लगाया जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। उक्त फार्म नम्बर 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बन्द पैकिट एक आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर तथा अलग से फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों एक लिफाफे में सील मोहर कर, आउटर कवर में सील बन्द पैकिट व फार्म नम्बर का सील बन्द लिफाफा श्री गजाननद लोधा वार्ड बॉय कार्यालय जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा दिनांक 16.12.2020 की मुख्य खाय विशलेषक जयपुर (राजस्थान) के यहाँ जमा करवाये जिनकी रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। बाकी बचे नमूने के दो सील बन्द पैकिट (**ii** व **iii** पार्ट) व फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का शेष एक सील बन्द पैकिट (**iv** पार्ट) व फार्म नम्बर 6 की एक प्रति को अलग से एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर दिनांक 16.12.2020 को स्वयं के द्वारा अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने अपने पत्र क्रमाक / एफएसएसए/2021/24 दिनाक 06.01.2021 के द्वारा उक्त नमूने की खाद्य विशलेशक जयपुर की जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/2445/एक्ट/2020/2330 दिनांक 28.12.2020 कारोबारकर्ताओं को रजिस्टर्ड डाक से भेजते हुये एक प्रति मुझे दी जिसके अनुसार खाद्य बेसन (गम्मौर ब्रान्ड) 1 किलोग्राम पैक का नमूना मिथ्याछाप (**Misbranded U/S 3(1)(zf)(C)(i) of FSSA** 2006) प्रकृति का पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2021.04.24 15:22:02 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

मु0नं0 13/21 (2021/33) सरकार बनाम कमलेश व अन्य

उक्त प्रकरण में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ताओं ने मिथ्याछाप प्रकृति की खाद्य वस्तु बेसन (गणगौर ब्रान्ड) 1 किलोग्राम पैक का विक्रय करके खाद्य सरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो कि धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त सं0 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गईं।

प्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि अभियुक्तगण द्वारा मिथ्याछाप प्रकृति की खाद्य वस्तु बेसन (गणगौर ब्रान्ड) 1 किलोग्राम पैक का विक्रय करके खाद्य सरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो कि धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी जबाबदार एक छोटा दुकानदार है जिसके पास खाद्य पदार्थ विक्रय का लाईसेन्स है। उक्त प्रकरण में सेम्पलिंग की कार्यवाही श्री प्रेमचन्द्र जैन द्वारा की गई है जो कि सेम्पलिंग की कार्यवाही करने के लिये सक्षम व्यक्ति नहीं है। उक्त श्री प्रेमचन्द्र जैन द्वारा नियमों की अवहेलना की गयी है और गलत तरीके से खाली कागजों पर अभियुक्त के हस्ताक्षरों का दुरूपयोग करते हुये एक कागज को कैश मीमों का रूप दे दिया है। इस तरह भी उक्त कार्यवाही नियमानुसार नहीं होने व सक्षम व्यक्ति द्वारा नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है, साथ ही अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 15:22:02 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षों की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एफ.डी./2445/एक्ट/2020/2330 दिनाक 28.12.2020 निम्नानुसार हैः–

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

मु०नं० 13/21 (2021/33) सरकार बनाम कमलेश व अन्य

Government of Rajasthan
STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY JAIPUR, (RAJASTHAN)
Mandir Marg Sethi Colony, Jaipur-302004
FORM-B
Test Report of the Food Analyst
[Refer Regulation (2) of 2.3.1]

Report No. L.S. / 2445/ Act / 2020/ 2330 — Date: 28-12-2020

Certified that I Karan Singh Tanwar, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for Rajasthan state received from **Sh. Prem Chand Jain, Food Safety Officer O/O Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur** a sample of **"Besan (Gangaur Brand)"** bearing Code number and Serial number **H-1962** of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur area on **16-12-2020** for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows: The seals were intact and unbroken. The seals tallied with the specimen impression of the seal sent separately by the Food Safety Officer in sealed envelop by hand.

I found the sample to be **"Cereals and Cereal Products"** falling under Regulation No. 2.4.4.1 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on **21-12-2020 to 28-12-2020** and the result of its analysis is given below.

Analysis Report:-

(1) **Sample description** : - Sample is in a sealed and intact company packed polythene packing of 1kg.
(2) **Physical appearance** : - Light yellow coloured powder.
(3) **Label** : -

Brand name : - Gangaur Agmark
Batch No. : - Not Given
Date of Mfg. / Pkg. : - Not Given
Best before : - 90 days from packaging
Symbol for Veg. /Non Veg. : - Green symbol given.
Nutritional Information : - Given.
Ingredients :- Chana Dal
Name & Address of Mfr. /Pkr. : - Mantri Agro Industries G-1-7, Badharna Industrial Area, Vishwakarma Extension Jaipur-302013 (Rajasthan), FSSAI License No. : - 12214026000388

Contravention of Regulation No. 2.2.2(8) and 2.2.2(9) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation, 2011.

Sl. No	Quality Characteristics.	Name of the Method of the test used.	Results.	Prescribed standards as per (a) Food Safety and Standards (Food Products standards and Food additive) Regulations, 2011. (b) As per label declaration for Proprietary food. (c) As per provisions of the Act, Rules and Regulations for both the above.
1.	Total ash.	FSSAI Manuals of method of analysis of food.	2.29%.	Not more than 5.0%.
2.	Ash insoluble in dilute Hydrochloric acid.	-----do-------	0.048%.	Not more than 0.5%.
3.	Added colouring matter.	-----do-------	Absent.	Absent.
4.	Rodent hair and excreta.	-----do-------	Absent.	Absent.
5.	Microscopical examination.	-----do-------	Foreign Starch Absent	Foreign starch absent.

Opinion-The sample of **"Besan (Gangaur Brand)"** bearing Code No. and Sr. No. **H-1962** of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur is **Misbranded Food** under section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standards Act, 2006.

Signed this 28th day of December 2020

Food Analyst
(Authorized Signatory)
(Karan Singh Tanwar)
Food Analyst, Rajasthan
Central Public Health Laboratory
Rajasthan, Jaipur

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM
Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur.

Copy to, COMMISSIONER OF FOOD SAFETY CUM
The Director (P.H.), Medical & Health Services,
Rajasthan, Jaipur.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 15:22:02 IST
Reason: SelfAttested

उक्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा मिथ्याछाप प्रकृति का खाद्य [illegible] बेसन (गणगौर ब्रान्ड) 1 किलोग्राम पैक का विक्रय किया गया तदापि गुणावगुण पर सुनवाई उप[illegible] सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित [illegible] है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

मु0नं0 13/21 (2021/33) सरकार बनाम कमलेश व अन्य

अतः अभियुक्तगण को मिथ्याछाप प्रकृति की खाद्य वस्तु बेसन (गणगौर ब्रान्ड) 1 किलोग्राम पैक का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत पृथक–पृथक रूप से जुर्माना राशि 15000–15000 रूपये (अक्षरे– पन्द्रह –पन्द्रह हजार रूपये), कुल तीस हजार रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये चालान 0210–04–800–03–00–25% **STATE SHARE WHICH RECEVIED AGAINEST LICENCE FEE** .में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाकर निर्देशित किया जाता हैं कि अदम अनुपालना आदेश अभियुक्त सं0 1 व 2 के प्रतिष्ठान का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द की जावे तथा साथ ही आयुक्त नगर परिषद् गंगापुर सिटी द्वारा एक माह उपरान्त प्रतिष्ठान सील किये जाने की कार्यवाही की जावे तथा आदेश की तामील तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा करवाई जाकर पालना प्रति न्यायालय में भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर, **RAS**)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 16:22:02 IST
Reason: SelfAttested